राजस्थान–सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर
अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

E-MAIL 1. ayurvedajm@yahoo.co.in
2. addlayurvedajm@yahoo.co.in
3. esttayurved2014@gmail.com

टेलीफोन नम्बर : 0145-2425047
0145-2425835
0145-2425993

क्रमांकः प.1(प्रति.6)स्की./1997/ 12585-89 दिनांकः 19/8/15

आदेश

कार्मिक (क–ग्रुप II) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(13) कार्मिक/क–2/90 दिनांक 8.4.96 एवं राजस्थान आयुर्वेदिक /यूनानी/ होम्योपैथिक एण्ड नेचुरोपैथी सेवा नियम, 1973 के नियम 24 (2)(ए) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 4.4.97 के कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के तहत, आदेश क्रमांक 33032 दिनांक 8.8.97 एवं 33033 दिनांक 8.8.97 के द्वारा स्क्रीन किये गये चिकित्सक, जिनको आदेश क्रमांक प.1/प्रति.6/चिकि./स्क्री/97/ 8086 दिनांक 27.02.2007 के द्वारा नियमित किया गया है। प्रशासनिक विभाग के पत्र क्रमांक प.10(3) आयु./2012/ पार्ट दिनांक 3.8.2015 के द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुसरण में उक्त आदेश दिनांक 27.2.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त स्क्रीन किये गये चिकित्सकों को वैद्य ग्रेड–II/एडहॉक आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर नियुक्ति दिनांक से नियमित किया जाता है।

इसी प्रकार उक्त नियमों के तहत गठित समिति की बैठक दिनांक 24.12.1999 के कार्यवृत्त विवरण के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 7768–870 दिनांक 17.4.2000 एवं 29732 दिनांक 29.7.2005 के द्वारा स्क्रीन किये गये चिकित्सकों को भी उक्त नियमों/प्रावधानों के तहत वैद्य ग्रेड–II/ एडहॉक आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर नियुक्ति दिनांक से नियमित किया जाता है ।

(विनीता श्रीवास्तव)
निदेशक

क्रमांकः प.1(प्रति.6)स्की./1997/ 12585-89 दिनांकः 19/8/15

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.10(3) आयु./ 2012/ पार्ट दिनांक 3.8.2015 के सन्दर्भ में ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त अधीनस्थ कार्यालयध्यक्ष, आयुर्वेद विभाग राजस्थान ।
4. प्रभारी, प्रतिष्ठापन (पेंशन) शाखा, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर ।
5. सहायक प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय,अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
6. सामान्य पत्रावली ।

निदेशक